

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03112025-267346
SG-DL-E-03112025-267346असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 313
No. 335]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947	[N. C. T. D. No. 313

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIराज्य चुनाव आयोग
अधिसूचना

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

सं. एफ. 4/उप/(6)/रा.चु.आ./विधि/2025/(ii)/21317—जैसा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, (वर्तमान तक संशोधित), की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त, ने एतद्वारा दिल्ली नगर निगम के निम्नलिखित 12 वार्डों से उपरोक्त अधिनियम के प्रावाधानों के अनुरूप जारी अधिसूचना सं. 4/उप/(6)/रा.चु.आ./विधि/2025/(i)/21316 दिनांक 03/11/2025 द्वारा दिल्ली नगर निगम के निम्नलिखित वार्डों में निगम पार्षदों की आकस्मिक रिक्तियों को उपचुनाव कर भरने का आह्वान किया है:—

क्रम सं.	वार्ड की सं. एवं नाम	आरक्षण स्थिति
1	2	3
1.	35—मुंडका	सामान्य
2.	56—शालीमार बाग—बी	महिला
3.	65—अशोक विहार	महिला

4.	74—चांदनी चौक	सामान्य
5.	76—चांदनी महल	सामान्य
6.	120—द्वारका—बी	महिला
7.	128—दीछाऊं कलां	महिला
8.	139—नारायणा	सामान्य
9.	163—संगम विहार—ए	सामान्य
10.	164—दक्षिण पुरी	अनुसूचित जाति
11.	173—ग्रेटर कैलाश	महिला
12.	198—विनोद नगर	सामान्य

अतः अब, उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 14 के प्रावधान के अनुरूप मैं, डॉ. विजय देव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त, उपरोक्त दिल्ली नगर निगम के उप-चुनावों के संबंध में एतद्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने आदि की तिथियाँ निम्न प्रकार से निश्चित करता हूँ।

(क) चुनाव अधिसूचना जारी करने तथा नामांकन

पत्र दाखिल करने के प्रारंभ की तिथि : 03 / 11 / 2025 (सोमवार)

(ख) नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि : 10 / 11 / 2025 (सोमवार)

(ग) नामांकन पत्रों की जांच की तिथि : 12 / 11 / 2025 (बुधवार)

(घ) अभ्यर्थिता पत्र वापिस लेने की अंतिम तिथि : 15 / 11 / 2025 (शनिवार)

(ङ) मतदान की तिथि, यदि आवश्यक हो तो : 30 / 11 / 2025 (रविवार)

(च) मतगणना की तिथि : 03 / 12 / 2025 (बुधवार)

(छ) चुनाव संपन्न होने की तिथि : 10 / 12 / 2025 (बुधवार)

राज्य चुनाव आयुक्त एतद्वारा दिल्ली नगर निगम के उपरोक्त उप-चुनावों के लिए जैसा कि उपरोक्त नियमावली के नियम 34 में वांछनीय हैं, मतदान का समय “प्रातः 07:30 बजे से सायं 05:30 बजे” (बिना रुके) तक भी निश्चित करते हैं।

डॉ. विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd November, 2025

No. F.4 BYE (6)/SEC/LAW/2025/(ii)/21317 —WHEREAS the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred upon him under Section 12 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, (as amended till date) has called upon the following 12 Wards of the Municipal Corporation of Delhi, to elect Councillors to fill the casual vacancies in the following wards of Municipal Corporation of Delhi vide Notification No. F.4 BYE (6)/SEC/LAW/2025/(i)/21316 dated the 03/11/2025.

Sl. No.	No. & name of Ward	Status of Reservation
1	2	3
1.	35 - Mundka	General
2.	56 - Shalimar Bagh-B	Women
3.	65 - Ashok Vihar	Women
4.	74 - Chandani Chowk	General
5.	76 - Chandani Mahal	General
6.	120 - Dwarka-B	Women
7.	128 - Dichaon Kalan	Women
8.	139 - Naraina	General
9.	163 - Sangam Vihar-A	General
10.	164 - Dakshin Puri	Scheduled Caste
11.	173 - Greater Kailash	Women
12.	198 - Vinod Nagar	General

NOW, THEREFORE, in exercise of the said powers and in pursuance of the provisions of Rule 14 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, I, Dr. Vijay Dev, the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, hereby further appoint, with respect of the above-said bye-elections, the dates for filing of nominations etc. as under:-

- (a) Issue OF notification & commencement of
filing of nominations : 03/11/2025 (Monday)
- (b) Last date for filing of nominations : 10/11/2025 (Monday)
- (c) Date for scrutiny of nominations : 12/11/2025 (Wednesday)
- (d) Last date for withdrawal of candidatures : 15/11/2025 (Saturday)
- (e) Date of poll, if necessary : 30/11/2025 (Sunday)
- (f) Date of counting of votes : 03/12/2025 (Wednesday)
- (g) Completion of bye-elections by : 10/12/2025 (Wednesday)

The State Election Commissioner hereby also appoints the hours of poll in respect of the above-said bye-elections as **"07:30 A.M. to 05:30 P.M. (without break)"** as required under rule 34 of the aforesaid Rules.

Dr. VIJAY DEV, State Election Commissioner